न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 178/2018
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 24.03.2020

1. राजवीर पुत्र भॅवरसिंह जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तहसील नदबई जिला भरतपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमवती पत्नि गुमानसिंह जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
3. श्रीमान सब रजिस्ट्रार नदबई

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री अशोक कुमार बिहारीया एण्ड0

श्री रामकिशन पूनिया एण्ड0

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए के तहत पेश किया गया।
2. यह है कि खाता स. 152 के खसरा न. 844 रकवा 0.48 हैक्टेयर वाके ग्राम नगला मिर्चुआ पटवार मण्डल गगवाना तहसील नदबई पर स्थिति है। जिसमें प्रार्थी 1/16 हिस्से का व अप्रार्थी स. 1, 15/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार रेवेन्यु दर्ज रिकार्ड है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र की मंद स. 2 की आराजी प्रार्थी की हिन्दू सयुक्त परिवार व पैत्रिक सम्पति की आराजी है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता हुआ चला आ रहा है। परन्तु उक्त आराजी अभिभाज्य आराजी है। व प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य भेज लगान डौर आदि को लेकर तनाजा रहता है। इसलिए सम्मिलित रहकर काश्त करना संभंव नही रहा है। इसलिए प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य हिस्सेनुसार अच्छी मे से अच्छी तथा बुरी से बुरी आराजी के कुरेजात कायमकर बॅटवारा कर खाता लगान कायम करापाने के अधिकारी है।
4. यह है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को दिनांक 27.12.2018 को धमकी दी है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा करके रहेगे। व दीगर व्यक्ति को रहनबय मुन्तकिल कर देगें। तथा मौके की यथास्थिति बदल देगें। अगर गैरसायल उक्त धमकी में कामयाब हो गया तो सायल को अजीम क्षति होगी। इसलिये गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने का अधिकारी है।

Web Copy Not Official

Scanned with CamScanner

5. अत प्रार्थी ने प्रार्थना की कि गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी को ताफैसला बाद रहनवयमुंतकिल नहीं करें। राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री रामकिशन पूनिया एण्ड0 उपथित हुऐ। अप्रार्थी स. 2 व 3 तामील बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी स. 1 की ओर जबाब प्रार्थना पत्र किया गया तथा अपने जबाब में वर्णित किया गया कि प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी अंकित होना स्वीकार है तथा उक्त विवादित आराजी बाबत दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत निणर्य दिनांक 26.10.18 को हो चुका है। उक्त विवादति आराजी पर प्रार्थी का कोई कब्जा नही है, इसकी ऐवज में सयुक्त आराजी मे से कब्जा दे रखा है। और उसको हड़पना चाहता है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2074–77 वाके ग्राम नगला मिचुँआ पेश की गयी।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील की इकतरफा बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। हमने प्रार्थीगण के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तो पाया कि

1.<u>प्राईमाफेसी केस</u>– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबदी संवत 2074–77 वाके ग्राम नगला मिचुँआ पेश की गयी। जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी का अंकन हो रहा है। उक्त विवादित आराजीयात का अभी तक कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ है, तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने मनवट अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब तक उभय पक्षकारान का कानूनी रूप से बटवारा नहीं हो जाये तब तक प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर अपना हक निहित रहता है। प्रथमदृष्टया प्राईमाफेसी केस प्रार्थीगण के हक में है।

4. <u>सुविधा का सतुलन</u> –सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में साबित है।
5. <u>अपूर्ण क्षति</u> – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थिगण को पावन्द नहीं किया जाता है तो विवादित आराजीयात का खुर्द–बुर्द होने का अंदेशा रहेगा तो अजीम क्षति भी प्रार्थीगण को होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी प्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः आदेश है कि खाता स. 152 के खसरा न. 844 रकवा 0.48 हैक्टेयर वाके ग्राम नगला मिर्चुआ तहसील नदबई पर उभ्यपक्षकारान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति दावे के निस्तारण तक बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

Scanned with CamScanner